



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Shipping, Road Transport and Highways)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110 075

G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200

फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

एक्स. / Extn : 2223 / 2318 / 2468 / 2553

सं ई 11041/217/2007-प्रशासन

दिनांक : 30 मार्च, 2007

नीतिगत परिपत्र : प्रशासन (10/2007)

(हिन्दी कक्ष की फा.सं. 11019/1/2006-रा.भा. में लिया गया निर्णय/अनुमोदन)

शुद्धि पत्र

विषय : भाराराप्रा में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना में संशोधन ।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 मई, 2006 के नीतिगत परिपत्र प्रशासन/वित्त (122/2006) संदर्भ सं० ई 11041/21/2005-प्रशासन द्वारा परिचालित की गई हिन्दी प्रोत्साहन योजना में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

1. प्रोत्साहन योजना के साथ हिन्दी में लगे “अनुलग्नक - क” को “अनुलग्नक - I” पढ़ा जाए ।
2. योजना विस्तार के अंतर्गत पैरा 1 में “हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुवादक इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं”, के स्थान पर इसे “हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी अनुवादक प्रोत्साहन योजना के अनुलग्नक - I की क्र.सं. ‘झ’ पर उल्लिखित प्रोत्साहन योजना को छोड़कर अन्य किसी प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे” पढ़ा जाए ।
3. “योजना विस्तार के अंतर्गत पैरा 5 में उल्लिखित “अनुलग्नक - I की क्रम संख्या - ग” को “अनुलग्नक - I की क्रम संख्या - घ” पढ़ा जाए । इसी प्रकार प्रोत्साहन योजना के हिन्दी रूपांतर में योजना विस्तार के पैरा - 8 की प्रथम पंक्ति में उल्लिखित “अनुलग्नक - I की क्र०सं० ग” को “अनुलग्नक - I की क्रम संख्या - घ” पढ़ा जाए ।
4. प्रोत्साहन योजना के अंग्रेजी रूपांतर में योजना विस्तार के अंतर्गत पैरा - 8 की प्रथम पंक्ति में “the prizes for the work done in Hindi during the year will be given on the basis of total work done during all the four quarters” से पहले निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

“under the incentive scheme at serial no.-‘D’ of the Annexure-I,”

5. अनुलग्नक - I की क्र.सं. ‘च’ तथा ‘छ’ पर उल्लिखित प्रोत्साहन योजना में निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

“संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यह वैयक्तिक वेतन उनके समकक्ष नियमित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को देय वेतनवृद्धि के बराबर होगा ।”

7. उक्त संशोधन योजना के प्रारंभ होने की तारीख अर्थात् 01 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे ।

(जी.पी. चौधरी)

महाप्रबंधक (प्रशासन)

सेवा में,

1. भाराराप्रा के सभी अधिकारी/कर्मचारी
2. सभी परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई/कारीडोर प्रबंधन इकाई/एसपीवी



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Shipping, Road Transport and Highways)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110 075

G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200

फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

एक्स. / Extn : 2223 / 2318 / 2468 / 2553

No. 11041/217/2007-Admn.

Dated: 30<sup>th</sup> March, 2007

### POLICY CIRCULAR: ADMINISTRATION (10/2007)

(Decesion/Approval taken on Hindi cell file No. 11019/1/2006-OL)

#### Corrigendum

**Sub: Ammendment in th New Incentive Scheme for promotion of the usage of Hindi in NHAI.**

With the approval of competent authority the following amendments are made in the Hindi incentive scheme circulated vide Policy Circular. Admn./Fin. (122/2006) Ref No. E 11041/21/2005-Admn. dated 09 May, 2006 :-


1. "Annexure -A" in Hindi attached with the Incentive scheme may be read as "Annexure -I" ;
2. In the scope of the scheme, in para -1, for "Hindi Officer and Hindi Translators are not entitled to participate in this scheme" may be read as "Hindi Officer and Hindi Translators will not be entitled to participate in any of the incetive scheme except the scheme as given at serial no. 'H' of the Annexure-I".
3. In the scope of the scheme, in para 5 for "serial no.-'C' of Annexure-I" may be read as "seriol no.-'D' of Annexure-I". Similarly in the Hindi version of the incentive scheme under scope of the scheme, in the first line of the para 8 for "serial no.-'C' of Annexure-I" may be read as "seriol no.-'D' of Annexure-I."
4. In the English version of the incentive scheme under scope of the scheme, in the first line of para 8 before "the prizes for the work done in Hindi during the year will be given on the basis of total work done during all the four quarters" following may be added :-

"under the incentive scheme at serial no.-'D' of the Annexure-I,"

5. The following may be added in the incentive scheme at serial no. E & F of the Annexure-I :-

"The personal pay payable to the officers/staff working on contract basis will be equal to the annual increment payable to the officer/staff working on similar post in regular pay scale"

6. The above ammendments will come into force from the date of commencement of the scheme i.e. 01<sup>st</sup> April, 2006.

  
(G P Chand)  
General Manager (Admn.)

To,

All Officers/Staff in NHAI.  
All Project Directors,/PIU's/CMU's/SPV's